काना पिता श्रवण जाति मीणा निवासी अमरपुरा तह0 बेगूँ

वादी

बनाम

1. फूलीबाई पत्नी कन्हैयॉलाल जाति मीणा निवासी कैरपुरा तह0 बेगूँ
2. मेनकादेवी पत्नी रमेश जाति मीणा निवासी अमरपुरा तह0 बेगूँ ?
3. धापूबाई पत्नी देवा जी मीणा निवासी अमरपुरा तह0 बेगूँ
4. टीकादेवी पत्नी जगदीश मीणा निवासी अमरपुरा तह0 बेगूँ
5. श्री भूमिधारी तहसीलदार, बेगूँ जिला चितौडगढ़
6. शाखा प्रबंधक, बडौदा राजस्थान क्षेत्री ग्रामीण बैंक शाखा बिछोर

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री विजय प्रकाश शर्मा
अधिवक्ता वादी
श्री सी.पी.शर्मा
अधिवक्ता प्रति. सं.6

निर्णय दिनांकः– 07.06.2022

**निर्णय वाद पत्र अ0धा0 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

वादी की ओर से वाद पत्र अ0धा0 53 राजस्थान कातश्कारी अधिनियम के तहत विभाजन हेतु अधिवक्ता श्री वी.पी.शर्मा द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है कि मौजा अमरपुरा प0ह0 कैरपुरा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक के संयुक्त खातेदारी एवं स्वामित्व अधिपत्य एवं उपयोग उपभोग की निम्न कृषि आराजीयात स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

| आराजी संख्या | रकबा हैक्टर |
|---|---|
| 208 | 1.49 |

उपरोक्त वर्णित आराजीयात में वादी का 1/18 हिस्सा निहित होकर मौके पर वादी का कब्जा काश्त है तथा वादी अपने कब्जे का उपयोग उपभोग कर रहे है। यह कि उक्त वर्णित कषि आराजीयात अविभाजित कृषि आराजीयात है, तथा प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात का विभाजन नहीं होने से आए दिन भूमि के कम ज्यादा एवं लगान को लेकर विवाद करते रहते है। इसलिए वादी का यह वाद विभाजन हेतु न्यायालय में प्रस्तुत है।

यह कि वादी ने प्रतिवादीगण को दिनांक 04.06.2020 को आपसी सहमति से तहसील में चलकर उक्त भूमि के विभाजन कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया जिससे वाद कारण उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान. है। कृषि आराजीयात तहसील बेगूँ में स्थित होने से श्रीमान के श्रवणा क्षेत्राधिकार की है। विभाजन के वाद में भूमिधारी आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 02 का हिस्सा भूमि बैंक के रहन होने से प्रतिवादी संख्या 6 के रूप बैंक को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

यह कि वादी न्यायालय श्रीमान से निम्न अनुतोष प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैः–

1– वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित खतौनी संख्या 48 मे वर्णित आराजी में वादी का 1/18 हिस्सा मौके पर कब्जा अनुसार या हक हिस्सानुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का मौके पर व राजस्व रेकार्ड में विभाजन किये जाने की डिक्री वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराई जावें।

2– कि वाद व्यय व अधिवक्ता शुल्क आदि वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

3– कि व अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ हो वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

उपरोक्त वादपत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होन पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आए जिससे उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये। प्रकरण [illegible] फोर्मल पक्षकार होने से उनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। प्रतिवादी [illegible] बैंक की ओर से अधिवक्ता श्री सी.पी.शर्मा द्वारा अपना अधिकार पत्र [illegible] निवेदन किया कि वादी के पक्ष में विभाजन किये जाने पर [illegible] है किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा बैंक से जो ऋण प्राप्त किया गया है [illegible] रखा जाकर निर्ण[illegible] कराया जावें। प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से विभाजन किये जाने पर कोई आपत्ति न[illegible] जाहिर करते हुए ऋण चुकाये जाने की सुनिश्चितता के सम्बन्ध निवेदन किये जाने पर प्रकरण में तनकी पत्र कायम नहीं किया गया।

पत्रावली में वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र वादी काना का प्रस्तुत कर बयान कलमबद्ध करा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी प्रदर्श–1 व नक्शाट्रेस प्रदर्श–2 कराये जाकर वादी के बयान पूर्ण किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। पत्रावली में वादी की साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 16:34:54 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र पर सुनी गई जिन्होने अपनी बहस वाद पत्र अनुसार करते हुए वादी का वर्णित कृषि आराजीयात में 1/18 हिस्सा पृथक करने हेतु विभाजन किये जाने का निवेदन हमारे समक्ष किया है। बहस अधिवक्ता की सुने जाने के पश्चात पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी प्रदर्श–1 का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। वाद वर्णित कृषि आराजीयात मौजा अमरपुरा प0ह0 कैरपुरा की आराजी संख्या 208 रकबा 1.4900 हैक्टर भूमि में वादी का हिस्सा 1/18 जमाबंदी में अंकित है जिसे वादी पृथक करा राजस्व रेकार्ड में अंकित करा पाने के अधिकारी पाये जाते है।

अतः वाद वादी का अ0धा0 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। मौजा अमरपुरा प0ह0 कैरपुरा की आराजी संख्या 208 रकबा 1.4900 हैक्टर भूमि में वादी का हिस्सा 1/18 रखते हुए शेष हिस्सा जमाबंदी अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 तक का रखते हुए आराजी का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 1000/–रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कृषि अराजीयात में प्रतिवादीगण द्वारा लिया गया ऋण बदस्तूर रहेगा। प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बेगूँ को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2022 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मीणा–II)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 16:34:54 IST
Reason: SelfAttested